रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2010/चैत्र 18, 1932

No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2010/CHAITRA 18, 1932

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 290(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड डघ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) 'अपील अधिकरण' से अधिनियम की धारा 53क की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में प्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन.**—अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग, उनकी संख्या, भर्ती की पद्धति और वेतन अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगी ।

4. **सेवा की शर्तें.**—अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विषय में सेवा की शर्तें, वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्यग्रहण की तारीख, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, चिकित्सा सुविधा और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा समतुल्य या समरूप वेतन ग्रेड में वेतन प्राप्त करने वालों को लागू हैं ।

5. **वास-सुविधा.**— (1) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी साधारण मूल वास-सुविधा के लिए पात्र होंगे ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर लगे व्यक्ति सहित अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्हें साधारण मूल के अंतर्गत निवास आबंटित किए गए हैं, सरकारी निवास स्थान की सुविधा रखे रहने के पात्र होंगे ।

(3) अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें वास-सुविधा उपलब्ध नहीं है वैसे ही मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होंगे जैसे केन्द्रीय सरकार के समरूप वेतनमान वाले अधिकारी और कर्मचारी को अनुज्ञेय है ।

6. **शासकीय विदेशी दौरे.**—अपील अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी की शासकीय विदेशी दौरे अपील अधिकरण के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अपील अधिकरण के कोई अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शन या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. रजिस्ट्रार	*1 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	37400-67000रु. + ग्रेड वेतन 10000 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

11	12
प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा	(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है और जो निम्नलिखित पदधारण किए हुए हैं/पदधारण किए हुए थे :-- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय में नियमित आधार पर सदृश ; या (ख) वेतन बैंड 37,400-67,000 रु0 + ग्रेड वेतन 8900 रु0 में दो वर्ष नियमित सेवा के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय में या समतुल्य ; (ग) वेतन बैंड 37,400-67,000 रु0 + ग्रेड वेतन 8700 रु0 में तीन वर्ष नियमित सेवा के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय में या समतुल्य ; या (2) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार का पद धारण किए हुए हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
13	14
जांच-सह-चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का अध्यक्ष- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का एक सदस्य - सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अपर सचिव- सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामिर्दिष्ट उच्च पद का एक विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता

2.उप रजिस्ट्रार	* 1(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	15600-39100रु. + ग्रेड वेतन 7600 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	(1) ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है और जो निम्नलिखित पद धारण किए हुए हैं /पद धारण किए हुए थे :-- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय में नियमित आधार पर सदृश ; या (ख) वेतन बैंड 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ; या ऐसे न्यायिक अधिकारी जो कम से कम आठ वर्ष सेवा की है, ऐसे अधिकारी जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पदों पर कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

3.लेखा अधिकारी	1	लागू नहीं होता	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन बैंड 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में दो वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य या ग्रेड वेतन 4600 रु0 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता हो : (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य ; (ii) आई एस टी एम में रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या समतुल्य और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का अनुभव हो ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का उप सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

4.अनुभाग अधिकारी	1	लागू नहीं होता	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन बैंड 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में दो वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य या जिन्होंने ग्रेड वेतन 4200 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का उप सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

5.लेखा सहायक	1	लागू नहीं होता	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में 10 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता हो : (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य ; (ii) आईएसटीएम में रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या समतुल्य और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का अनुभव हो ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- सदस्य (iii) अपील अधिकरण का लेखा अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

6.कोर्ट मास्टर	*1(2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	(1) ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री है या समतुल्य । (2) जिनके पास आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रतिमनट की गति है ; (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या सदृश पद धारण किए हुए थे ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य : (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 में दस वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार-सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का उप सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

7.ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	*1(2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या जो वेतन बैंड 15600-39000 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 या समतुल्य में प्रधान निजी सचिव का पदधारण किए हैं/पद धारण किए हुए थे और जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है । वांछनीयः विधि में डिग्री ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

8.प्रधान निजी सचिव	* 2(दो) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	15600-39100रु. + ग्रेड वेतन 6600 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो सदृश पदधारण किए हुए हैं या सदृश्य पदधारण किए हुए थे ; (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का उप सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

9.निजी सचिव	*1 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं /सदृश पदधारण किए हुए थे ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य । (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में 10 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी-अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का उप सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

10.वैयक्तिक सहायक	*4 (चार) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	9300-34800रू. + ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं /सदृश पदधारण किए हुए थे ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य । (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में 10 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का उप सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

11.आशुलिपिक श्रेणी- III	*2 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो सदृश पदधारण किए हुए हैं/सदृश पदधारण किए हुए थे ; या (ii) जिनके पास आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी-अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अवर सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

12. सहायक	*3 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद अराजपत्रित के समतुल्य	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं /सदृश पदधारण किए हुए थे । (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य । (iii) जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में 10 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अवर सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

13. ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक	*1 (एक) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

स्नातक	नहीं	एक वर्ष

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा	केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं /सदृश पदधारण किए हुए थे ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी- अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अवर सचिव- सदस्य	लागू नहीं होता

14. स्टाफ कार ड्राइवर	1	समूह 'ग'	5200-20200रु. + ग्रेड वेतन 1900 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिन्होंने वेतन् बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900 रु0 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । न्यनूतम अर्हता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति तथा मोटर मशीनों का ज्ञान है ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी - सदस्य (iii) अपील अधिकरण का लेखा अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता

15. जमादार/चपरासी	4	समूह 'घ'	5200-20200रु. + ग्रेड वेतन 1800 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1800 रु0 में दो वर्ष नियमित सेवा की है । न्यूनतम अर्हता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ।

चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अपील अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का समतुल्य अधिकारी - सदस्य (iii)अपील अधिकरण का लेखा अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 5/13/2008-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2010

SCHUDULE

G.S.R. 290(E).— In exercise of the powers conferred by clause (md) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Recruitment, salaries and other terms and conditions of service of officers and other employees) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Appellate Tribunal' means the Competition Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 53A of the Act;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the same meaning assigned to them in that Act.

3. **Recruitment and Salary of the officers and other employees of the Competition Appellate Tribunal.** – The nature and categories of officers and other

employees of the Appellate Tribunal, their number, method of recruitment and salary shall be as specified in the Schedule.

4. **Conditions of service.**- The conditions of service of the officers and other employees of the Appellate Tribunal in the matter of pay, allowances, leave, joining time, provident fund, age of superannuation, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with the provisions of such rules as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A', Group 'B' and Group 'C', as the case may be, and drawing salary in equivalent or similar pay grades.

5. **Accommodation.**- (1) The officers and employees of the Appellate Tribunal shall be eligible for general pool accommodation.

(2) The officers and employees of the Appellate Tribunal including those on deputation, who are Government employees and have been allotted residential accommodation under the General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation.

(3) The officers and employees of the Appellate Tribunal not allotted accommodation shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay scales.

6. **Official visits abroad.**- Official visits abroad by officers and other employees of the Appellate Tribunal shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Appellate Tribunal or any other Member or officer of the Appellate Tribunal authorised by the Chairperson and shall be regulated as per the guidelines or instructions issued by the Central Government from time to time.

7. **Powers to relax.**- The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

Schedule

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of services admissible under the rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any *	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorptions and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Registrar	*1(2009) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay 10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation / ***short term contract***	(1) Officers of the Central Government or State Government possessing degree in law from a recognized university and holding ***/ held*** (a) analogous post in Central Government or State Government or High Court on regular basis; or (b) Post in Central Government or State Government or High Court, with two years regular service in the payband of Rs.37,400-67,000 with grade pay of Rs.8900 or equivalent; (c) Post in Central or State Government or High Court, with three years regular service in the payband of Rs.37,400-67,000 with	***Search-cum-*** Selection Committee consisting of:-(i) Chairperson of the Appellate Tribunal – Chairman (ii) One Member of the Appellate Tribunal – Member (iii) An Additional Secretary of the Ministry of Corporate Affairs – Member ***Expert – person of eminence nominated by***	Not applicable

											grade pay of 8700 or equivalent or 2) Officers holding posts of District Judge or Additional District Judge or Registrar or Additional Registrar or Joint Registrar of ***Supreme Court/*** High Courts.	***the Central government - Member***	
2. Deputy Registrar	*1(2009) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 15,600-39100 + Grade Pay 7600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation / ***short term contract***	(1) Officers possessing degree in law from a recognized university and holding /***held*** (a) analogous posts in Central Government or State Government or High Court on regular basis; or (b) with five years regular service in the payband of Rs.15600-39100 with grade pay of 6600 or equivalent; or judicial officers with minimum service of eight years, officers holding posts of Additional Registrar or Joint Registrar or Deputy Registrar in ***Supreme Court/*** High Courts with at least five years regular service.	Selection Committee consisting of:-(i) Member of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Registrar of the Appellate Tribunal – Member (iii) A Joint Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	Not applicable.
3. Accounts Officer	1	Not applicable	Rs. 9300-34800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/ short term contract	Officers holding analogous posts on regular basis or with	Selection Committee consisting of:- (i)	Not applicable

			+ Grade Pay 5400								two years regular service in the pay band of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800 or equivalent or with 3 years regular service with grade pay of Rs.4600 or equivalent and possessing any one of the following qualifications: (i) A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government; (ii) Successful completion of training in the Cash & Accounts Work in the ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts & Budget Work.	Member of the Appellate Tribunal–Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Member (iii) A Deputy Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	
4. Section Officer	1	Not applicable	Rs. 9300-34800 + Grade Pay 4800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/ short term contract	Officers holding analogous posts on regular basis or with two years regular service in the pay band of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600 or equivalent or with 6 years regular service with grade pay of Rs.4200 or equivalent	Selection Committee consisting of:- (i) Member of the Appellate Tribunal–Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Member	Not applicable

												(iii) A Deputy Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	
5. Accounts Assistant	1	Not applicable	Rs. 9300-34800 + Grade Pay 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/ short term contract	Officers holding analogous posts on regular basis or with 6 years regular service in the pay band of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2800 or equivalent or with 10 years regular service in the pay band of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 or equivalent and possessing any one of the following qualifications: (i) Passed SAS or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government; (ii) Successful completion of training in the Cash & Accounts Work in the ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts & Budget Work.	Selection Committee consisting of:- (i) Member of the Appellate Tribunal– Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Member (iii) Accounts Officer of the Appellate Tribunal - Member	
6. Court Master	* 1(2009) * Subject to variation dependent on work	Not applicable	Rs. 9300-34800 + Grade Pay	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/ ***short term contract***	1) Officers possessing a bachelors degree from a recognized university or	Selection Committee consisting of:-(i) Registrar of the Appellate Tribunal or	Not applicable

	load		4200								equivalent 2) having speed of 120 wpm in shorthand (English) (i) Holding / *held* analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in the payband of 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent. (iii) with ten years Regular service in the payband of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 or equivalent.	equivalent officer of the Central Government - Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal - Member (iii) A Deputy Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	
7. Senior Principal Private Secretary	* 1(2009) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15,600-39100 + Grade Pay 7600	Selection Post	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation. / *short term contract*	Officer holding analogous post on regular basis; or holding / *held* the post of PPS in the payband of Rs. 15600-39000 with grade pay Rs. 6600 or equivalent with 5 years regular service ***Desirable: Holding degree in law.***	Selection Committee consisting of:- (i) Member of the Appellate Tribunal - Chairman (ii) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government - Member (iii) A Joint Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	Not applicable

1292 GI/10-4

8. Principal Private Secretary	* 2(Two) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15,600-39100 + Grade Pay 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation. / ***short term contract***	Officers under the Central Government. a)- (i) holding / ***held*** analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in the scale of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.5400 or equivalent.	Selection Committee consisting of:- (i) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal – Member (iii) A Deputy Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	Not applicable
9. Private Secretary	* 1(2009) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 9,300-34,800 + Grade Pay 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation. / ***short term contract***	Officers under the Central Govt. a)- i) holding / ***held*** analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years regular service in the payband of 5200-20200 with grade pay of Rs.2800 or equivalent. iii) with 10 years regular service in the scale of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 or	Selection Committee consisting of:- (i) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal – Member (iii) A Deputy Secretary of the Ministry of Corporate	Not applicable

											Equivalent.	Affairs - Member	
1[illegible] Personal Assistant	* 4(Four) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 9,300-34,800 + GP 4200	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation / ***short term contract***	Officers under the Central Government a)- (i) holding / ***held*** analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years regular service in the payband of 5200-20200 with grade pay of Rs.2800 or equivalent. (iii) with 10 years regular service in the scale of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 or Equivalent	Selection Committee consisting of:- (i) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal – Member (iii) A Deputy Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	Not applicable
11. Steno-grapher Grade III	*2 (2009) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 5,200-20,200 + GP 2400	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/ ***short term contract***	Officers Under the Central Government a)- (i) holding / ***held*** analogous posts Possessing speed of stenography of 100 w.p.m. (English/Hindi).	Selection Committee consisting of:- (i) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal – Member (iii) A Under	Not applicable

												Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	
12. Assistant	*3 (2009) * Subject to variation dependent on work load	Equivalent to group 'B' post Non-Gazetted in the Central Government	Rs 9,300-34,800 + Grade Pay 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation / ***short term contract***	Officers under the Central Government (i) holding / ***held*** analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years regular service in the payband of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2800 or equivalent. (iii) with 10 years regular service in the scale of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 or equivalent.	Selection Committee consisting of:- (i) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal – Member (iii) A Under Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	Not applicable
13. Senior Hindi Translator	*1 (One) * Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 9,300-34,800 + Grade Pay 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	A graduate ;	No	One year	By deputation/ ***short term contract***	Officials of Central/State Govt. (I) holding / ***held*** analogous post	Selection Committee consisting of:-(i) Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal –	Not applicable

												Member (iii) A Under Secretary of the Ministry of Corporate Affairs - Member	
14. Staff Car Driver	1	Group 'C'	Rs. 5,200-20.200 + Grade Pay 1900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/ ***short term contract***	Officers holding analogous posts on regular basis with three years regular service in the pay band of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1900. Minimum qualification 10th pass or equivalent and possession of valid driving licence for motorcar and knowledge of motor machines.	Selection Committee consisting of:- (i) Member of the Appellate Tribunal– Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central Government – Member (iii) Accounts Officer of the Appellate Tribunal - Member	Not applicable
15. Jamadar /Peon	4	Group 'D'	Rs. 5,200-20,200 + Grade Pay 1800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/ ***short term contract***	Officers holding analogous posts on regular basis with two years regular service in the pay band of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1800. Minimum qualification 10th pass or equivalent.	Selection Committee consisting of:- (i) Member of the Appellate Tribunal– Chairman (ii) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal or equivalent officer of the Central	Not applicable

												Government – Member (iii) Accounts Officer of the Appellate Tribunal - Member	

[F. No. 5/13/2008-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.